

## प्रेसनोट दिनांक 17.07.2021

1. दिनांक 16.07.21 को वादी उ०नि० श्री रामप्रकाश सिंह थाना को०नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. आकाश पुत्र ओमप्रकाश 2.कुन्दन उर्फ चन्दन पुत्र शंकर नि०गण दीवान का पुरवा उसरू थाना को०नगर अयोध्या **दोनो गिर०** अभि०गणों के कब्जे से चोरी की 12 अदद साइकिल बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०नगर में मु०अ०सं० 454/21 धारा 411, 414 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 16.07.21 को वादी उ०नि० श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना को०अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि पवन कुमार पुत्र रामसुन्दर नि० पलिया शहाब्दी थाना कैण्ट अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 359/21 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 16.07.21 को वादी श्री सहदेव यादव पुत्र परशुराम नि० भगवा भीट थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सोहनलाल पुत्र रामलखन नि० भगवा भीट थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 03 नफर पुरानी रंजिश को लेकर अभि०गण द्वारा गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 300/21 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 16.07.21 को वादी का० सर्वजीत चौहान थाना रौनाही अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सलमान उर्फ राजेन्द्र पुत्र नन्हकू नि० शेखपुर जाफर थाना रौनाही अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 10 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु०अ०सं० 328/21 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 16.07.21 को वादी श्री रामकुबेर पुत्र रामखेलावन नि० इस्माइलपुर थाना को०बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन सं० यु०पी 32 एचबी 0569 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के ठेले में टक्कर मार देना जिससे वादी का घायल हो जाना तथा ठेला क्षत्रिग्रस्त हो जाना जिसके संबंध में थाना को०बीकापुर में मु०अ०सं० 341/21 धारा 279, 337, 338, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 16.07.21 को वादी हे०का० निलेश कुमार थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि प्रेम प्रकाश पुत्र दूर्गा प्रसाद नि० तेजवापुर डीली सरेया थाना खण्डासा अयोध्या **गिर०** अभि० के कब्जे से 20 ली० कच्ची शराब नाजायज बरामद होना जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 190/22 धारा 60(1)आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 16.07.21 को वादी श्री जय प्रकाश पाण्डेय पुत्र रामचन्द्र पाण्डेय नि० सदहा प्रतापपट्टी प्रतापगढ द्वारा सूचना दिया गया कि यू०पी०४१ एटी 6793 का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वारा तेजगति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी के भाई को टक्कर मार देना जिससे गम्भीर रूप से घायल हो जाना जिसके संबंध में थाना को०रुदौली में मु०अ०सं० 317/21 धारा 279, 337, 338, भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 16.07.21 को वादी श्री विवेक कुमार सिंह थानाध्यक्ष पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सुभाष चन्द्र शर्मा पुत्र श्री रामानन्द शर्मा (वाहन स्वामी) नि० घोसौली युआरएफ गोविन्दपुर कंकरखेडा मेरठ व वाहन का चालक व खलासी अभि०गण द्वारा वाहन सं० यू०पी 15सीटी 1966 डीसीएम पर अवैध अग्रेजी शराब लादकर परिवहन करना, पुलिस पार्टी को देखकर भाग जाना, मौके से मैकडावल नं० 1 375 मि०ली० की 2520 शीशी कुल 945 ली०, रायल प्लेयर प्रीमियम ग्रेन व्हिस्की 375 मि०ली० की कुल 720 शीशी में 270 ली०, ब्लू आफिसर च्वाइंस रेयर ग्रेन व्हिस्की 180 मि०ली० की कुल 2448 शीशी में 440.64 ली०, ब्लू आफिसर च्वाइंस रेयर ग्रेन व्हिस्की 750 मि०ली० की कुल 240 शीशी में 180 ली०,इस प्रकार कुल 5928 शीशियों में 1835.64 ली० अवैध अग्रेजी शराब बरामद होना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 156/21 धारा 60/63/72 आब० अधि० व 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 16.07.21 को वादी श्री कुलदीप कुमार पुत्र प्रेम नरायण नि० रानीमऊ थाना पटरंगा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि गुड्डू पुत्र नान्हु यादव नि० कोटवा सडक जनपद बाराबंकी आदि 02 नफर अभि०गण द्वारा नहर में जेसीबी से मिट्टी की खुदाई कर डम्पर पर लाद कर उठा ले जाना जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 157/21 धारा 3/4 लो० स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।